

प्रथम नियुक्ति पर अचल संपत्ति की विवरणी/वर्ष के लिए ( / / को)  
Statement of Immovable Property on First Appointment/For the year 2015 (As on 01/01/2016)

458

1. अधिकारी का नाम एवं सेवा जिससे अधिकारी संबंध रखते हैं/ Name of the Officer(in full) and service to which the officer belongs: **YISHWESH B. SHASTRI, IDAS**  
2. वर्तमान पद/Present post held: **ALDA** 3. वर्तमान वेतन/Present Pay: **A-17550 + L-5400**  
Comp - A

जिला, उप मंडल, ताल्लुक एवं ग्राम का नाम जहां संपत्ति स्थित है/Name of the District, Sub - Div, Taluk & Vill. in which property is situated.	संपत्ति का नाम एवं ब्यौचा Name and details of property	यदि स्वयं के नाम पर नहीं है तो जिनके नाम पर है उसका नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध बताएं/If not in own name held/ & his/her relationship with Govt. servant.	अर्जन का प्रकार, खरीद, पट्टे पर** या गिरवी, उत्तराधिकार, उपहार स्वरूप अन्यथा किसी और प्रकार से तथा व्यक्ति का नाम जिससे अर्जित की गई है/If acquired, whether by purchase, lease** or mortgage, inheritance, gift or otherwise with details of person/s from whom acquired.	संपत्ति से वार्षिक आय/ Annual income from the property	अभ्युक्तियां Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	—

अप्रयोज्य खंडों को काट दिया जाए। \* जिन मामलों में सटीक मूल्य पता किया जाना संभव न हो तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निकटतम मूल्य दर्शाया जाए। \*\* अल्पावधिक पट्टा भी शामिल है।  
Innapplicable clauses to be struck out. \*In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions to be indicated. \*\* Includes short term lease also.

टिप्पणी: घोषणा-पत्र सेवा में प्रथम नियुक्ति पर तथा तत्पश्चात् प्रत्येक बारह माह की अवधि पर स्वयं के स्वामित्व की, अर्जित या उनके द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की गई अथवा उनके द्वारा पट्टे या गिरवी पर उनके स्वयं के नाम पर अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी और व्यक्ति के नाम ली गई सभी अचल संपत्तियों को के.सि.से.(आ.)नियमावली 1964 के नियम 18(3) एवं (4) के अधीन श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 अधिकारियों के प्रत्येक सदस्य द्वारा भरा जाना एवं प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

Note: The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I and Class II Officers under Rule 18 (3) & (4) of the Central Civil Services(Conduct) Rules 1964 on first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him/her or held by him/her on lease or mortgage either in his/her own name or in the name of any member of his/her family or in the name of any other person.

Y. Shastri

हस्ताक्षर/Signature

नाम/Name **YISHWESH B. SHASTRI, IDAS**

ग्रेड/ले.सं. / Grade/Acct. No. **ALDA**